

(1)

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा ।

पत्रांक/मान्यता/अंगमा0/25273-79/2016-17

दिनांक 28 मार्च 2017

सेवा में,

प्रबन्धक,
दीदार सिंह पब्लिक स्कूल,
जाजऊ, फतेहपुर सीकरी-आगरा ।

विषय :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम-15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए अंग्रेजी माध्यम का मान्यता प्रमाण पत्र ।

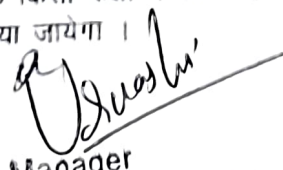
महोदय/महोदया,

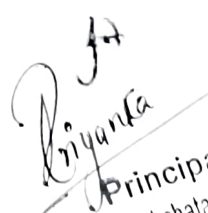
आपके दिनांक 30.08.2016 के आवेदन-दीदार सिंह पब्लिक स्कूल, जाजऊ, फतेहपुर सीकरी-आगरा (विद्यालय का नाम, पते सहित) को दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 31.03.2020 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा पाँच तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्याधीन है :-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध-2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथा स्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्ग और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का समूह न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा-

1. प्रवेश दिए गये किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।


Manager
Deedar Singh Public U.M. Vidyalay
Jajau, Agra


Principal
Deedar Singh Public Uchchatar Madhyamik Vidyalaya
Jajau, Agra

2. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उपेक्षा के अयोग्य नहीं किया जायेगा।
3. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक में कोई भी परीक्षा नहीं की जाएगी।
4. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन प्रतिक्रिया दिए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
5. अधिनियम के तथ्यों के अनुसार निश्चयता प्रस्त/विशेष आवश्यकताओं को ध्यान विचारों को प्रवेश दिया जाना।
6. अध्यापकों की भागी अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा प्रतिक्रिया न्यूनतम अहंताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक विनयक पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अहंताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अहंताएं अर्जित करेंगे।
7. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करत है और
8. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापक क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल - 1600 वर्ग मीटर

कुल निर्मित क्षेत्र - 960 वर्ग मीटर

कीडा-स्थल का क्षेत्रफल - हॉ

कक्षाओं की संख्या -08

प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह भांडागार के लिए कक्ष -05

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय-02-02

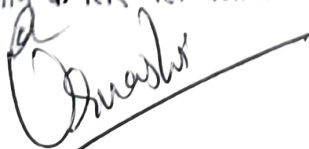
पेयजल सुविधा - हॉ, समर सेबिल द्वारा

मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई- हॉ

बाधारहित पहुंच - हॉ, डामर रोड

अध्यापक पठन सामग्री/कीडा खेलकूदउपकरणों/ पुस्तकालय की उपलब्धता-हॉ

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पण्डित लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या समूह या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।



Manager

Deedar Singh Public U.M. Vidyalay
Jajau, Agra



Principal
Deedar Singh Public Uchchatar Madhyamik Vidyalaya
Jajau, Agra

- 13 विद्यालय के लेखों की किस्मी चार्टर्ड आकाउण्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ग जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए ।
- 14 आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या (25273-79) है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय साथ किस्मी पत्राचार के लिए इस संख्या का उल्लेख करें।
- 15 विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और संगठित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के मूल अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यक्रम की कमियां को दूर करने के लिए जारी किए जाएं ।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- 17 प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होगा। प्रत्येक कक्षा-कक्ष में कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होगी । यदि कक्षा-कक्ष माप के अनुसार बच्चों का प्रवेश नहीं किया जाएगा अर्थात् अधिक बच्चे प्रवेश किए जायेंगे तो मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जाएगी।
18. संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त ।

भवदीय

(दिनेश कुमार यादव)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

आगरा

पृ0सं0/मान्यता/अं0मा0/25273-79/2016-17 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नोक्त की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित:-

- 1-शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 निशातगंज-लखनऊ ।
- 2-सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ।
- 3-अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 4-मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), आगरा ।
- 5-जिला समाज कल्याण अधिकारी, आगरा ।
- 6-संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी (ग्रामीण/नगर) जनपद आगरा ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
आगरा



Manager

Deedar Singh Public U.M. Vidyalay
Jajau, Agra



Principal

Deedar Singh Public Uchchatar Madhyamik Vidyalaya
Jajau, Agra

प्रेषक,

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० मेरठ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
दींदार सिंह पब्लिक उ०मा०वि०
जाजऊ फतेहपुर सीकरी,
किरावली, आगरा

पत्रांक : मा०शि०प०/मान्यता/मे०/ 168

दिनांक- 12/7/2019

विषय: हाईस्कूल नवीन (6-10) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासनादेश संख्या: 1193/15-7-2019-1(25)/2019 दिनांक 11 जुलाई 2019 के द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम-1987 की धारा 7क (क) के अन्तर्गत आपकी संस्था दींदार सिंह पब्लिक उ०मा०वि० जाजऊ फतेहपुर सीकरी, किरावली, आगरा को परिषद की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2021 से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों के अधीन सभी अनिवार्य एवं वैकल्पिक विषयों के साथ (वनटाइम) मान्यता दिये जाने के आदेश प्रदान किए गए हैं। यह मान्यता अतिरिक्त प्राप्ति के लिए है।

सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) प्रबन्धाधिकरण कक्षा 6-10 की कक्षाएँ संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला भवन, पुस्तकालय, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत कराये।
- (2) इस मान्यता-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद को 6-10 कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (3) साज-सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाये।
- (4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से संयुक्त व्यक्तियों को अपने स्रोतों से व्यवस्था के लिये प्रबन्धाधिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा।
- (5) विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था प्रबन्धाधिकरण द्वारा अपने स्रोतों से की जायेगी।
- (6) नवीन कक्षाएं संचालित करने के समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

क०प्र०



Manager

Deedar Singh Public U.M. Vidyalay
Jajau, Agra



Principal

Deedar Singh Public Uchechalar Madia, Jajau, Agra

विशेष प्रतिबन्ध

- (क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धाधिकरण का होगा।
- (ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगे, अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहर्षित कर ली जायेगी।
- (ग) विद्यालय में प्राइमरी की कक्षाएं मान्य नहीं होगी।
- (घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या- 25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विशेष अपील में माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले विलयरी, फिकेशन अप्लीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होगा।

टिप्पणी - इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छः)माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय

(राणा सहस्रांशु कुमार "सुमन")

अपर सचिव

माध्यमिक शिक्षा परिषद
क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० मेरठ

दिनांक-

पृष्ठांकन सं०: मा०शि०प०/मान्यता / मं० /

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 उप सचिव (शिक्षा -7 अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
- 2 सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्य कार्यालय, प्रयागराज।
- 3 सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा।
- 4 जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा।
- 5 परीक्षा अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

(राणा सहस्रांशु कुमार "सुमन")

अपर सचिव



Manager

Deedar Singh Public U.M. Vidyalay
Jajau, Agra

Scanned with CamScanner



Principal

Deedar Singh Public Uchchatar Madhyamik Vidyalaya
Jajau, Agra